



# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ 14(Trans)2022/एफसीए/प्रमुखसं/

4145

दिनांक

8/12/22

शासन सचिव,  
वन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

विषय:- Diversion of 0.175 ha. of forest land in favour of ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LTD. for Construction of 220KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposal ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220 KV GSS at Near Village-Badi Sird, Tehsil-BAP, District-Jodhpur in the State of Rajasthan (Total Length 11.540km).  
(Proposal no. FP/RJ/TRANS/153699/2022)

संदर्भ:- विशेषाधिकारी, वन विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक प. 1(133)वन/2022 दि. 04.11.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में चाही गई सूचना मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर के पत्रांक 8579 दिनांक 28.11.2022 से प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आक्षेप	अनुपालना
1	वनभूमि प्रत्यावर्तन अधिनियम 1980 एवं नियम 2003 के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के अध्याय 2.8 (III) (ई) में यह उल्लेखित है कि सीए स्कीम अन्तर्गत वृक्षारोपण का 10 वर्ष का संधारण समाहित कर योजना प्रस्तावित की जावेगी। जबकि प्रकरण में सीए हेतु एस्टीमेट में वृक्षारोपण उपरान्त 3 वर्ष का ही संधारण लिया गया है।	उप वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना में 10 वर्ष संधारण समाहित कर संशोधित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर दिये गये हैं।
2	सीए स्कीम में वृक्षारोपण उपरान्त Casualty Replacement में 10 पौधों (10 प्रतिशत) का प्रावधान लिया गया है। प्रस्तावित सीए स्कीम क्षेत्र विशेष (डेजर्ट एरिया) के लिये लागू मॉडल के अनुरूप है अथवा नहीं?	उप वन संरक्षक, जोधपुर अनुसार सीए स्कीम में वृक्षारोपण उपरान्त Casualty Replacement में 10 पौधों (10 प्रतिशत) का प्रावधान लिया गया है। प्रस्तावित सीए स्कीम क्षेत्र विशेष (डेजर्ट एरिया) के लिये लागू मॉडल के अनुरूप है।
3	सीए स्कीम सदर वनक्षेत्र में प्रस्तावित है जो कि नर्सरी क्षेत्र होना प्रतीत होता है, स्पष्ट करावें।	उप वन संरक्षक, जोधपुर अनुसार सीए स्कीम सदर वनक्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है, जो कि नर्सरी क्षेत्र है। उप वन संरक्षक अनुसार नर्सरी परिसर में 100 पौधे लगाने से शहरी सौन्दर्यीकरण के साथ-साथ रिक्त भूमि का उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा एवं उक्त रिक्त नर्सरी भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भी है। साथ ही सुरक्षा दीवार निर्मित होने से भी उपयुक्त है।

संलग्न:-उपर्युक्तानुसार

भवदीया,

*Shiruk*

( शिखा मेहरा )

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर  
दिनांक

क्रमांक: एफ 14(Trans)2022/एफसीए/प्रमुखसं/

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर
2. उप वन संरक्षक, जोधपुर
3. मेनेजर, एबीसी सोलर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड मेडता हाउस, पुलिस चौकी के सामने, जालौरी गेट, जोधपुर

( दिनेश कुमार गुप्ता )

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर

## कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ ( ) एफसीए/मुवसजो/2022/ 0579  
निमित्त,

दिनांक 28-11-22

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)  
एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान

*Chetan ji*  
*02/12/22*

विषय : Diversion of 0.175 Ha Forest land for construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposed ABC SIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220 KV GSS at near village Badi Seed Tehsil Baap Dist. Jodhpur Proposal No. FP/RJ/Trans/153699/2022

संदर्भ : राज्य सरकार का पत्रांक प1(133)वन/2022 दिनांक 4-11-2022 एवं उप वन संरक्षक, जोधपुर का पत्रांक 7000 दिनांक 24-11-2022

351

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विषयांकित प्रत्यावर्तन प्रकरण में राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा लगाये गये आक्षेपों का प्रत्युत्तर/अनुपालना उप वन संरक्षक, जोधपुर ने संदर्भित पत्र से प्रेषित की है, अनुपालना से यह कार्यालय सहमत है, बिन्दुवार अनुपालना निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र स	आक्षेप	अनुपालना
1	वनभूमि प्रत्यावर्तन अधिनियम 1980 एवं नियम 2003 के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के अध्याय 2.8 (III) (ई) में यह उल्लेखित है कि सीए स्कीम अन्तर्गत वृक्षारोपण का 10 वर्ष का संधारण समाहित कर योजना प्रस्तावित की जावेगी। जबकि प्रकरण में सीए हेतु एस्टीमेट में वृक्षारोपण उपरान्त 3 वर्ष का ही संधारण लिया गया है।	उप वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना में 10 वर्ष संधारण समाहित कर संशोधित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर दिये गये हैं।
2	सीए स्कीम में वृक्षारोपण उपरान्त Casualty Replacement में 10 पौधों (10 प्रतिशत) का प्रावधान लिया गया है। प्रस्तावित सीए स्कीम क्षेत्र विशेष (डेजर्ट एरिया) के लिये लागू मॉडल के अनुरूप है अथवा नहीं ?	उप वन संरक्षक, जोधपुर अनुसार सीए स्कीम में वृक्षारोपण उपरान्त Casualty Replacement में 10 पौधों (10 प्रतिशत) का प्रावधान लिया गया है। प्रस्तावित सीए स्कीम क्षेत्र विशेष (डेजर्ट एरिया) के लिये लागू मॉडल के अनुरूप है।
3	सीए स्कीम सदर वनक्षेत्र में प्रस्तावित है जो कि नर्सरी क्षेत्र होना प्रतीत होता है, स्पष्ट करावें।	उप वन संरक्षक, जोधपुर अनुसार सीए स्कीम सदर वनक्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है, जो कि नर्सरी क्षेत्र है। उप वन संरक्षक अनुसार नर्सरी परिसर में 100 पौधे लगाने से शहरी सौन्दर्यकरण के साथ-साथ रिक्त भूमि का उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा एवं उक्त रिक्त नर्सरी भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भी है। साथ ही सुरक्षा दीवार निर्मित होने से भी उपयुक्त है।

संलग्न - उक्तानुसार

*1885*  
*2/12/22*

क्रमांक एफ ( ) एफसीए/मुवसजो/2022/  
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- उप वन संरक्षक, जोधपुर।
- प्रयोक्ता अभिकरण, एबीसी सोलर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, मेडता हाउस, पुलिस चौकी के सामने जालोरी गेट, जोधपुर

भुवदीय  
*02/12/22*  
(बेगाराम जाट)  
संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
जोधपुर  
दिनांक

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
जोधपुर

निमित्त:-संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
जोधपुर

विषय:-Construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposed ABC SIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL765/400/220 KV GSS atr near Village Badi Sird, Tehsil- Baap, District- Jodhpur (Rajasthan) Proposal No FP/RJ/TRANS/153699/2022, Area : 0.175 Hectare

संदर्भ:- राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर पत्रांक प.1 (133) वन/2022 दिनांक 04.11.2022 एवं आन लाइन परिवेश पोर्टल आक्षेप दिनांक 11.11.2022 के क्रम में

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आक्षेप के क्रम में लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में लगे आनलाइन आक्षेप दिनांक 11.11.2022 की पालना पूर्ति कर पुनः परिवेश पोर्टल पर फार्म अ पार्ट-2 में ऑनलाइन अपलोड के साथ ही ऑफलाइन (हार्ड कॉपी) की 3-3 प्रति में अग्रिम कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित है :-

Ser No	Type of Objection	प्रत्युत्तर
1.	वन भूमि प्रत्यावर्तन अधिनियम, 1980 एवं नियम, 2003 के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के अध्याय 2.8 (111) (ई) में यह उल्लेखित है कि सी.ए. स्कीम अन्तर्गत वृक्षारोपण का 10 वर्ष का संधारण समाहित कर योजना प्रस्तावित की जावेगी। जबकी प्रकरण में सी.ए. हेतु एस्टीमेट में वृक्षारोपण उपरांत 3 वर्ष का संधारण ही लिया गया है।	उच्च कार्यालय द्वारा पारित निदेशों की पालना कर क्षतिपूर्ति पौधारोपण का 10 वर्ष का संधारण समाहित कर विस्तृत एस्टीमेट संलग्न कर दिया गया है।
2.	CA Scheme में वृक्षारोपण उपरांत casualty replacement में 10 पौधों (10 प्रतिशत) का प्रावधान लिया गया है। प्रस्तावित CA Scheme क्षेत्र विशेष (डेजर्ट एरिया) के लिए लागू मॉडल के अनुरूप है अथवा नहीं।	CA Scheme में वृक्षारोपण उपरांत casualty replacement में 10 पौधों (10 प्रतिशत) का प्रावधान लिया गया है। प्रस्तावित CA Scheme क्षेत्र विशेष (डेजर्ट एरिया) के लिए लागू मॉडल के अनुरूप ही है।

कृ.पू.उ.

FCA  
Su  
28/11

Ser No	Type of Objection	प्रत्युत्तर
3.	CA Scheme सदर वन क्षेत्र में प्रस्तावित है, जो कि नर्सरी क्षेत्र होना प्रतीत होता है। स्पष्ट करावें।	CA Scheme सदर वन क्षेत्र में प्रस्तावित है, जो कि नर्सरी क्षेत्र होना प्रतीत होता है। चूकिं उक्त नर्सरी परिसर में 100 पौधे लगाने हेतु शहरी सौन्दर्यकरण के क्विक्त स्थान को देखते हुए अनुरूप स्थल है। अतः 100 पौधो के लिए उक्त भूमि को सुरक्षा दीवार होने की वजह से उपयुक्त माना गया है।

अतः उक्त बिन्दुवार आक्षेपो की पूर्ति कर 3-3 प्रति आप श्रीमान के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

भवदीय



(अजय उचोई)

उप वन संरक्षक  
जोधपुर

क्रमांक: सम/

दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाप
3. Sanjay Purohit s/o Shri Nemraj Purohit, Merta House, Opposite Police Chowki, Jalori Gate, Jodhpur (Rajasthan) PIN-340 001



उप वन संरक्षक  
जोधपुर

## PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : RJ-046/2022

1. Location of the project/Scheme : Rajasthan

- (i) State / Union Territory : Rajasthan
- (ii) District : Jodhpur
- (iii) Forest Division : Jodhpur Territorial
- (iv) Area of forest land proposed for diversion (In ha.) : 0.175
- (v) Category of the Proposal: Transmission Line

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Jodhpur Territorial	0.175	Protected Forest
Total		0.175	

Division 1. : Jodhpur Territorial

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Jodhpur	0.175
Total		0.175

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(i) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	0.175	0.1	Eco 4
Total.	0.175		

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL :

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Others	Vilayati Babool	5	0	0	0	0	0
Total			5	0	0	0	0	0
Sub Total (No of Trees.)			5					

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : Protected Working circle

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : NIL

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 0

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :

- (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : Chinkara, Blue Bull, Desert Fox, Desert Cat, Indian Fox, Some Raptiles, Variety of

उप वन संरक्षक  
जोधपुर

Falcons some Bird Species etc.

(ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No

(iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

(iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :

(i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :

(i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed :

(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : Yes

(a)Details of violation(s): It has been found that the user agency has complet

(b) Period of Work done(year) : 2022

(c) Area of forest land involved in violation (in ha.) : 0.175


S. No.	Name of person responsible for violation	Designation & Address of person responsible for violation	Action taken against the person responsible for violation
1	Sanjay Purohit	Authorised Signatory ABC SOLAR INDIA PRIVATE LIMITED	FOREST FIR under Section of FRA Rules has been registered against the company

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : No

13. Details of compensatory afforestation scheme :

(i). Patch wise details for Degraded Area (To be earmarked by DFO)

(i). Total Financial Outlay for C.A(lacs): 1.78

Patch Wise Details						
S.no	Patch No.	Area(ha.)	Name of PF/RF	Range	Compartment No	Uploaded KML file of patch
1	1	0.5	PF	MANDOR	LOXWELL NURSERY	 <a href="#">View file</a>

(ii). Copy of CA scheme details: 

(iii). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station:



(iv). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.:



उप वन संरक्षक  
जोधपुर

(V). Copy of NOC from Competent Authority :

Additional information Details :

S. No.	Documents	Remarks
1		FCA 1980 Violation amount letter
2		CA OUTLEY LETTER
3		GT SHEET CA DFL
4		LAND SUITABILITY CERITIFICATE
5		MEDICINAL PLANT AMOUNT LETTER
6		NH NOTIFICATION
7		TREE COUNTING LETTER
8		SCHEME FOR CA
9		YEARWISE MEDICINAL PLANT
10		DETAILED ESTIMATE OF MEDICINAL PLANT
11		NPV Letter
12		LOCATION MAP
13		FIR Copy
14		User Agency Violation Undertaking
15		RO Baap Reply on EDS
16		Detailed estimate of CA
17		DGPS MAP FOR CA DFL
18		DCF Jodhpur reply on EDS

14. District Profile :

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Jodhpur	2285000	23828.15	260.9542	43	308.82	16/06/2022	308.82	66.09

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Jodhpur Territorial	Jodhpur	DFO	Yes	One		07/06/2022

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason :

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Jodhpur	Jodhpur	DFO	Recommended	Viewing at the	 उप वन संरक्षक जोधपुर	

Territorial

				Importance of Project, This proposal is RECOMMENDED FOR ACCEPTANCE with penal provision as per rule.		
Jodhpur	CF	Recommended		THE PENALTY IS BEING IMPOSED AGAINST UA FOR VIOLATION UNDER 1980 SINCE THEY HAVE STARTED THE WORK WITHOUT PRIOR PERMISSION HENCE IT IS RECOMMENDED THE PROPOSAL FOR ACCEPTANCE IN PUBLIC INTEREST WITH REFERENCE OF ABOVE CONDITION	7	Yes
	Nodal Officer	Recommended		The proposal is in public interest.	8	

Print page

उप वन संरक्षक  
जोधपुर



राजस्थान सरकार

वन विभाग

**Campansatory Afforestation esitmate at forest block Nursery Loxwell (Urban Development) at Range Mandore for diversion of 0.175 Hectare Protect Forest Land for Construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposed ABC SIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL765/400/220 KV GSS atr near Village Badi Sird, Tehsil- Baap, District- Jodhpur (Rajasthan) Proposal No FP/RJ/TRANS/153699/2022**

प्राकलन पत्र - शून्य वर्ष

1	कार्य का नाम - लक्सवेल नर्सरी की परिधि में वृक्षारोपण - 0.50 हैक्टर एवं 100 पौधे							
2	ग्राम का नाम - जोधपुर	3	ग्राम पंचायत - मण्डोर					
4	पंचायत समिति - मण्डोर	5	रेंज का नाम - मण्डोर					
6	कार्यकारी एजेन्सी - उप वन संरक्षक जोधपुर	7	योजना - क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण					
8	वृक्षारोपण की परिधि	170	9	मॉडल - वनीकरण				
10	क्षेत्रफल हैक्टर में	0.5	11	प्रति हैक्टर पौधो की संख्या			200	
12	प्रस्तावित राशि लाख रु. में	श्रम	91341.35	सामग्री	86658.97	योग		178000.32

प्राकलन पत्र - शून्य वर्ष

क्र.सं.	कार्य का विवरण	BSR I.No.	इकाई	मात्रा	दर	श्रम	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	क्षेत्र का चैन से सर्वेक्षण सीमांकन, लाईन कटिंग, रिकॉर्ड एवं सर्वे मेप तैयार करना	वन विभाग 2ए1	हैक्टर	0.5	225.93	0	113	113
2	वृक्षारोपण क्षेत्र में 45 x 45 x 45 से.मी. औसत आकार के खडडे खोदना	वन विभाग						
	अ. बालुई दूमट मिट्टी में -	2डी1.1	खडडे	100	6.91	691	0	691
3	वृक्षारोपण हेतू 5 से 8 फीट तक की उचाई के पौधो का क्रय करना एवं कार्यस्थल तक परिवहन करना	बाजार	संख्या	110	70	3850	1650	5500
4	वृक्षारोपण हेतू कीटनाशक का क्रय	1/10	लीटर	0.5	320	0	160	160
5	वृक्षारोपण हेतू उर्वरको का क्रय	1 /11	कि.ग्रा.	1	25	0	25	25
6	साइनबोर्ड का क्रय	1 /6	कि.ग्रा.	40	75	0	3000	3000
7	वृक्षारोपण हेतू वाटर स्टोरेज टैंक का क्रय	1 /9	लीटर	2500	8	0	20000	20000
8	समस्त अदृश्य,विविध,एवं आकस्मिक,व्यय					5078	5267	10345
	महायोग :-					9619	30215	39834
	महायोग लाख रूपयो में					0.10	0.30	0.40

प्राकलन पत्र - पौधारोपण वर्ष

क्र.सं.	कार्य विवरण	BSR I.No.	इकाई	मात्रा	दर	श्रम	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	

उप वन संरक्षक  
जोधपुर

	कीटनाशक एवं उर्वरक से उचित उपचार करते हुए पौधरोपण करना							
2	समतल एवं उबड़खाबड़ क्षेत्र	FD-3D3.2	पौधे	100	4.65	465	0	465
3	पौधे के चारो ओर अर्द्धचन्द्राकार आकार का स्टेण्डर्ड थांवला बनाना	FD-3D4	पौधे	100	3.42	342	0	342
4	वृक्षारोपण में उपलब्ध कराये गये जल से प्रति पौधा 30 लीटर जल से प्रारम्भिक एवं पश्चातवर्ती कुल 8 बार सिंचाई करना	FD-3E1.1	पौधे	800	3.96	3168	0	3168
5	पौधो में 8 बार सिंचाई हेतू प्रति पौधा 30 लीटर जल का परिवहन मय कय	वाजार दर	पौधे	800	8	0	6400	6400
6	प्रति वर्ष पौधों में बरसात के बाद एक बार संयुक्त निराई गुडाई करना	FD-3F1.1 & 3F1.2	पौधे	100	4.47	447	0	447
7	पौधो में प्रत्येक सिंचाई के बाद 8 बार गुडाई	FD-3F1.2	पौधे	800	2.75	2200	0	2200
8	पौधे को पाले एवं तापघात से बचाने के लिए स्थानीय झाडिया से थांवले के चारो ओर टी गार्ड बनाना	FD-3G7	पौधे	100	57.31	5731	0	5731
9	पौधो की स्केटीयर से प्रूनिंग करना	FD-4D1	पौधे	30	2.89	86.7	0	86.7
10	समस्त छूटकर आकस्मिक, अदृश्य व्यय	एकमुश्त	एकमुश्त			4162	4882	9044
	योग :-					16602	11282	27884
	महायोग लाख रूपयो में					0.17	0.11	0.28

प्राकलन पत्र - प्रथम वर्ष								
क्र.सं.	कार्य विवरण	BSR I.No.	इकाई	मात्रा	दर	श्रम	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1	वृक्षारोपण हेतू 5 से 8 फीट तक की उचाई के पौधो का कय करना एवं कार्यस्थल तक परिवहन करना	वाजार दर	पौधो की संख्या	10	70	0	700	700
2	क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतू निर्धारित मानदण्ड के खड्डे खोदना							
अ	वालूई दूमट मिट्टी में आधी दर	FD-2D1.1	खड्डे	10	3.45	34.5		34.5
7	कीटनाशक एवं उर्वरक से उचित उपचार करते हुए पौधरोपण करना							
ब	समतल एवं उबड़खाबड़ क्षेत्र	FD-3D3.2	पौधे	10	4.65	47	0	47
8	पौधे के चारो ओर अर्द्धचन्द्राकार आकार का स्टेण्डर्ड थांवला बनाना	FD-3D4	पौधे	10	3.42	34.2	0	34.2
9	पौधो में 10 बार सिंचाई हेतू प्रति पौधा 15 लीटर जल कर कय एवं परिवहन करना	वाजार दर	पौधे	1000	8	0	8000	8000
10	वृक्षारोपण में उपलब्ध कराये गये जल से प्रति पौधा 15 लीटर जल से 10 बार सिंचाई करना समतल एवं उबड़खाबड़ क्षेत्र	FD-3E1.1	पौधे	1000	3.96	3960	0	3960
13	प्रति वर्ष पौधों में बरसात के बाद एक बार संयुक्त निराई गुडाई करना	FD-3F1.1 & 3F1.2	पौधे	100	4.47	447	0	447

	पौधों में प्रत्येक सिंचाई के बाद 10 बार गुड़ाई	FD-3F1.2	पौधे	1000	2.75	2750	0	2750
15	पौधे को पाले एवं तापघात से बचाने के लिए स्थानीय झाड़िया से ओर टी गार्ड बनाना	FD-3G7	पौधे	100	57.31	5731	0	5731
16	पौधों की स्केटीयर से प्रूनिंग करना	FD-4D1	पौधे	75	2.89	217	0	217
22	समस्त छूटकर आकस्मिक, अदृश्य व्यय	एकमुश्त	एकमुश्त			4735	5498	10233
	योग :-					17954.95	14198	32152.95
	महायोग लाख रूपयों में					0.18	0.14	0.32

प्राकलन पत्र - द्वितीय वर्ष								
क्र.सं.	कार्य विवरण	BSR I.No.	इकाई	मात्रा	दर	श्रम	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	पौधों में 8 बार सिंचाई हेतु प्रति पौधा 15 लीटर जल का परिवहन मय क्रय	बाजार दर	पौधे	800	8	0	6400	6400
2	पौधों में 8 बार 15 लीटर जल प्रति पौधे से सिंचाई करना समतल एवं उबड़खाबड़ क्षेत्र	FD-3E1.1	पौधे	800	3.96	3168	0	3168
3	प्रति वर्ष पौधों में बरसात के बाद एक बार संयुक्त निराई गुड़ाई करना	FD-3F1.1 & 3F1.2	पौधे	100	4.47	447	0	447
4	पौधों में प्रत्येक सिंचाई के बाद 8 बार गुड़ाई	FD-3F1.2	पौधे	800	2.75	2200	0	2200
5	पौधे को पाले एवं तापघात से बचाने के लिए स्थानीय झाड़िया से ओर टी गार्ड बनाना	FD-3G7	पौधे	100	57.31	5731	0	5731
6	पौधों की स्केटीयर से प्रूनिंग करना	FD-4D1	पौधे	50	2.89	145	0	145
7	समस्त छूटकर आकस्मिक, अदृश्य व्यय	एकमुश्त	एकमुश्त			6611	7182	13793
	योग :-					18302	13582	31884
	महायोग लाख रूपयों में					0.18	0.14	0.32

प्राकलन पत्र - तृतीय वर्ष								
क्र.सं.	कार्य विवरण	BSR I.No.	इकाई	मात्रा	दर	श्रम	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	पौधों में 4 बार सिंचाई हेतु प्रति पौधा 30 लीटर जल का परिवहन मय क्रय	बाजार दर	पौधे	400	8	0	3200	3200
2	पौधों में 4 बार 30 लीटर जल प्रति पौधे से सिंचाई करना समतल एवं उबड़खाबड़ क्षेत्र	FD-3E1.1	पौधे	400	3.96	1584	0	1584
3	प्रति वर्ष पौधों में बरसात के बाद एक बार संयुक्त निराई गुड़ाई करना	FD-3F1.1 & 3F1.2	पौधे	100	4.47	447	0	447
4	पौधों में प्रत्येक सिंचाई के बाद 4 बार गुड़ाई	FD-3F1.2	पौधे	400	2.75	1100	0	1100
5	पौधे को पाले एवं तापघात से बचाने के लिए स्थानीय झाड़िया से ओर टी गार्ड बनाना	FD-3G7	पौधे	50	57.31	2866	0	2866
6	पौधों की स्केटीयर से प्रूनिंग करना	FD-4D1	पौधे	50	2.89	145	0	145
7	समस्त छूटकर आकस्मिक, अदृश्य व्यय	एकमुश्त	एकमुश्त			5611	6182	11793

  
 उप वन संरक्षक  
 जोधपुर

योग :-

महायोग लाख रूपयो में

11752	9382	21134
0.12	0.09	0.21

**प्राकलन पत्र - चतुर्थ वर्ष**

क्र.सं.	कार्य विवरण	BSR I.No.	इकाई	मात्रा	दर	श्रम	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	पौधो की स्केटीयर से प्रूनिंग करना	FD-4B1	पौधे	60	2.32	139	0	139
2	समस्त छूटकर आकस्मिक, अदृश्य व्यय मय खाई फेंसिंग एवं निराई गूडायी व्यय	एकमुश्त	एकमुश्त			2000	1000	3000
	योग :-					2139	1000	3139

**प्राकलन पत्र - पंचम वर्ष**

क्र.सं.	कार्य विवरण	BSR I.No.	इकाई	मात्रा	दर	श्रम	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	पौधो की स्केटीयर से प्रूनिंग करना	FD-4B1	पौधे	60	2.32	139	0	139
2	समस्त छूटकर आकस्मिक, अदृश्य व्यय मय खाई फेंसिंग एवं निराई गूडायी व्यय	एकमुश्त	एकमुश्त			2000	1000	3000
	योग :-					2139	1000	3139

**प्राकलन पत्र - षष्ठम वर्ष**

क्र.सं.	कार्य विवरण	BSR I.No.	इकाई	मात्रा	दर	श्रम	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	पौधो की स्केटीयर से प्रूनिंग करना	FD-4B1	पौधे	60	2.32	139	0	139
2	समस्त छूटकर आकस्मिक, अदृश्य व्यय मय खाई फेंसिंग एवं निराई गूडायी व्यय	एकमुश्त	एकमुश्त			2000	1000	3000
	योग :-					2139	1000	3139

**प्राकलन पत्र - सप्तम वर्ष**

क्र.सं.	कार्य विवरण	BSR I.No.	इकाई	मात्रा	दर	श्रम	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	पौधो की स्केटीयर से प्रूनिंग करना	FD-4B1	पौधे	60	2.32	139	0	139
2	समस्त छूटकर आकस्मिक, अदृश्य व्यय मय खाई फेंसिंग एवं निराई गूडायी व्यय	एकमुश्त	एकमुश्त			2000	1000	3000
	योग :-					2139	1000	3139

**प्राकलन पत्र - अष्टम वर्ष**

क्र.सं.	कार्य विवरण	BSR I.No.	इकाई	मात्रा	दर	श्रम	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	पौधो की स्केटीयर से प्रूनिंग करना	FD-4B1	पौधे	60	2.32	139	0	139
2	समस्त छूटकर आकस्मिक, अदृश्य व्यय मय खाई फेंसिंग एवं निराई गूडायी व्यय	एकमुश्त	एकमुश्त			2000	1000	3000
	योग :-					2139	1000	3139

**प्राकलन पत्र - नवम वर्ष**

  
 उप वन संरक्षक  
 जोधपुर

क्र.सं.	कार्य विवरण	BSR I.No.	इकाई	मात्रा	दर	श्रम	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	पौधों की स्केटीयर से प्रूनिंग करना	FD-4B1	पौधे	60	2.32	139	0	139
2	समस्त छूटकर आकस्मिक, अदृश्य व्यय मय खाई फेंसिंग एवं निराई गूडायी व्यय	एकमुश्त	एकमुश्त			2000	1000	3000
	योग :-					2139	1000	3139

**प्राकलन पत्र - दशम वर्ष**

क्र.सं.	कार्य विवरण	BSR I.No.	इकाई	मात्रा	दर	श्रम	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	पौधों की स्केटीयर से प्रूनिंग करना	FD-4B1	पौधे	60	2.32	139	0	139
2	समस्त छूटकर आकस्मिक, अदृश्य व्यय मय खाई फेंसिंग एवं निराई गूडायी व्यय	एकमुश्त	एकमुश्त			2000	1000	3000
	योग :-					2139	1000	3139

**प्राकलन पत्र - ग्यारहवा वर्ष**

क्र.सं.	कार्य विवरण	BSR I.No.	इकाई	मात्रा	दर	श्रम	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	पौधों की स्केटीयर से प्रूनिंग करना	FD-4B1	पौधे	60	2.32	139	0	139
2	समस्त छूटकर आकस्मिक, अदृश्य व्यय मय खाई फेंसिंग एवं निराई गूडायी व्यय	एकमुश्त	एकमुश्त			2000	1000	3000
	योग :-					2139	1000	3139

**शून्य से बारह वर्ष तक का व्यय योग**

क्र.सं.	कार्य विवरण	BSR I.No.	इकाई	मात्रा	दर	श्रम रू०	सामग्री रू०	योग रू०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शून्य वर्ष					9619	30215	39834
2	वृक्षारोपण वर्ष					16602	11282	27884
3	प्रथम वर्ष संधारण					17955	14198	32153
4	द्वितीय वर्ष संधारण					18302	13582	31884
5	तृतीय वर्ष संधारण					11752	9382	21134
6	चतुर्थ वर्ष संधारण					2139	1000	3139
7	पंचम वर्ष संधारण					2139	1000	3139
8	षष्ठम वर्ष संधारण					2139	1000	3139
9	सप्तम वर्ष संधारण					2139	1000	3139
10	अष्टम वर्ष संधारण					2139	1000	3139
11	नवम वर्ष संधारण					2139	1000	3139
12	दसम वर्ष संधारण					2139	1000	3139
13	ग्यारहवा वर्ष संधारण					2139	1000	3139
	महायोग :-					91341	86659	178000


नोट:- प्रति पौधा व्यय  $(178000/100) = 1780/-$

उप वन संरक्षक  
जोधपुर

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस प्राकलन में वर्णित दरें श्रीमान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय जोधपुर द्वारा निर्धारित की गयी नई बी.एस.आर. 2022 दरों के अनुरूप है। कुछ कार्यों की दरें ग्रामीण विकास विभाग एवं जिला परिषद जोधपुर की बी.एस.आर. दरों के अनुरूप है। कुछ सामग्री आईटम की दरें वर्तमान बाजार भाव के अनुरूप है।

निम्नानुसार जांच की गई व सही पाया गया

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
विकास, कार्यालय हाजा

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
मण्डोर


गणितीय एवं नामर्स जांच द्वारा

तकनीकी जांच द्वारा

स्वीकृत किया द्वारा

  
सहायक लेखाधिकारी प्रथम

  
सहायक वन संरक्षक  
जोधपुर

  
उप वन संरक्षक  
उप जोधपुर संरक्षक  
जोधपुर

अनुमोदित किया

मुख्य वन संरक्षक  
जोधपुर